काधिक मिजिस्टेट प्रथम श्राप

राज्य द्वारां एडीपीओ।

अभियुक्तगण जेल से पेश नहीं, केवल वारंट प्राप्त। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री के0पी0 राठौर।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है। उभयपक्ष के उपार्पण तर्क सुने गए। प्रकरण का अवलोकन किया।

अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक 23.12.16 को 8:30 बजे फरियादी की पत्नी विनीता और पिता महेशचंद थापक घर पर थे। पत्नी विनीता ने फरियादी को मोबाईल से सूचना दी कि आरोपी अमरिसंह गुर्जर मकान के अंदर आंगन में घुसकर जहां वह वर्तन धो रही थी, आंकर मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा। चिल्लाने पर पिताजी महेशचंद आ गए जिन्होंने गाली देने से रोका तो अमरिसंह ने उनके मुंह में घूंसा मारा जिससे मुंह तथा जबड़े में चोट आई। फरियादी अपने चाचा मनोज को बुलाने गया तो वहां आरोपी अमरिसंह गुर्जर आ गया। फरियादी ने आरोपी से कहािक उसने घर के अंदर घुसकर गाली गलौंच व पिताजी की मारिपट क्यों कर आए हो। इसी बात पर तीनों उसे बुरी बुरी गालियां देने लगे। रामनिवास, सत्तू उर्फ सतेन्द्र व अमरिसंह गुर्जर ने फरियादी की लािठयों से मारिपट की जिससे दािहने हाथ की उगलियों के बीच, बायें बाजू, बाए पैर की जांघ में चोटें आई। मौके पर चाचा मनोज ने बचाया। जाते समय अमरिसंह, सतेन्द्र उर्फ सत्तू और रामनिवास कह रहे थे आज तो बचा लिया, आईंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद पर की जिस पर से अप०क०—374/16 पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2000 May 200

आरोपीगण के विरूद्ध भादवि० की धारा 452, 323, 294, 506, 325, 34, 458 के अधीन पेश किया गंया है। धारा 458 मादवि० की आरोप अनन्यतः माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अतः अभियोगपत्र विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

प्रकरण मे द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन अभियोगपत्र एवं सलग्न दस्तावेजो की प्रति पूर्व मे दिलाई जा चुकी है।

प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनाक के पूर्व माननीय सत्र . न्यायालय में प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुचाये जाने की व्यवस्था करे। साथ ही लोक अभियोजक को उर्पापण सबधी सूचना भेजी जाए।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण मे जप्तशुदा सपत्ति को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजी जाए।

अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं। अतः उनके अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना निष्पादन लिपिक सुनिश्चित कराये।

प्रकरण उपार्पण की सूचना मान० सत्र न्यायालय में संधारण की दृष्टि से किए जाने बावत् प्रकरण पत्रावली मय ज्ञापन के मान० सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित की जावे।

अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं। अतः जेलर को निर्देशित किया जावे कि वे आगामी दिनांक को अभियुक्तगण को मान० प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय में सुबह 11 बजे प्रस्तुत करें।

प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनाक 28.02.17 को पेश हो।

Judicial Magistrate First Class Gohad distt Bhind (M.P.)